

30/5
24

प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची
वादी उपस्थित नहीं। वादी व वादी
अधिवक्ता को रुक-रूक कर 3 बार आवाज
लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया।
वादी का वादपत्र अदम पैरवी, अदम नाल
से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली निगति लेकर नम्बर से कम तक
दाखिल पत्रों को। ↓



डिप्टी कमिश्नर (राजस्व)
श्री करणपुर